क्रमांक 16/1/91-6 जी.एस.-II

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा ।
2. आयुक्त, अम्बाला, हिसार, गुड़गांव तथा रोहतक मण्डल ।
3. सभी उपायुक्त एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0) हरियाणा ।
4. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट, चण्डीगढ़ ।

दिनांक 23-11-92

विषय :- सेवा अवधि के दौरान नकारा होने वाले कर्मचारियों के परिवारों को सुविधाएं-अंधे व नकारा होने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी प्रदान करने बारे ।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 16/1/91-6 जी.एस.-II, दिनांक 22-2-91 की ओर दिलाने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार ने इस मामले में पुनः विचार करके यह निर्णय लिया है कि इस पत्र के जारी होने की तिथि के पश्चात सेवा अवधि के दौरान अन्धे व नकारा होने वाले नियमित कर्मचारियों के परिवार के आश्रितों में से केवल एक आश्रित को नौकरी दी जाए ।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि नकारा होने वाले कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित किए जाने वाले विशेष मैडिकल बोर्ड से नकारा होने बारे प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा । आपसे अनुरोध है कि इन हिदायतों की दृढ़ता से पालना की जाये और भविष्य में प्रस्ताव इन हिदायतों के अनुसार ही सरकार को पूर्ण सूचना सहित भेजा जाए।

3. इस पत्र के जारी होने की तिथि से पूर्व के मामले रि-ओपन (re-open) नहीं किए जायेंगे ।

4. कृपया इस पत्र की पावती भेजें ।

भवदीय,
हस्ता/-
अवर सचिव, प्रोटोकोल,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक प्रति सभी वित्तायुक्त तथा सभी प्रशासकीय सचिवों को सूचनार्थ तथा आगामी कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

हस्ता/-
अवर सचिव, प्रोटोकोल,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

सभी वित्तायुक्त, तथा हरियाणा
सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा ।

अशा: पत्र क्रमांक 16/1/91-6 जी.एस-II. दिनांक 23-11-92